

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/176

प्रकरण संख्या 114/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू, राजस्व अधिनियम 1956

**अनवान**

1. श्री भेरा पुत्र हीरा जाति गाडरी निवासी गाडरियों की भागल भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।  
.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री जमनालाल पुत्र नाथूलाल ब्राह्मण निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र नाथूलाल ब्राह्मण निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
3. श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मोहनदास वैरागी निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर।

.....अप्रार्थीगण


अधिवक्ता प्रार्थी : श्री राजमल मेनारिया।

**निर्णय**

दिनांक : 20.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, भू, अभिलेख निरीक्षक वृत्त भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 1119 की आराजी संख्या 2084 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2085 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2086 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2087 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8485/2091 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।
2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आए दिन पाली डोली रूख वृक्ष को लेकर विपक्षीगण से विवाद होता रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढंग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारों तरफ पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 15.02.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, भूअभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 1119 की आराजी संख्या 2084 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2085 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2086 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2087 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8485/2091 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।
4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 न्यायालय में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सहमती प्रदान की एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, भूअभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 1119 की आराजी संख्या 2084 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2085 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2086 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2087 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8485/2091 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, भूअभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 1119 की आराजी संख्या 2084 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2085 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2086 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2087 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 8485/2091 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैंशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)